न्यायालय अपर कलक्टर, अजमेर

राजस्व प्रकरण संख्या 4/2013

श्री भंवरसिंह पुत्र श्री दुर्गादास जाति राजपूत निवासी ग्राम मुण्डियाखेडा तहसील भिनाय जिला अजमेर।

.......*प्रार्थी*

बनाम

1. श्रीमति सुरती देवी पत्नी श्री शंकरलाल जाति लखारा निवासी ग्राम मुण्डियाखेडा तहसील भिनाय जिला अजमेर।
2. राजस्थान सरकार।

......रेस्पोन्डेन्टस

अन्तर्गत नियम 14(4) सपठित नियम 20(2)
राजस्थान भू राजस्व
(कृषि प्रयोजनार्थ भू आवंटन) नियम 1970

उपस्थित :– श्री मदनलाल गुर्जर, वकील प्रार्थी की ओर से।

–: आदेश :–

दिनांक 18.03.2016

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है कि दिनांक 06.01.2011 को उपखण्ड अधिकारी केकडी द्वारा आवंटन सलाहकार समिति की सिफारिश के आधार पर श्रीमति सुरती देवी पत्नी श्री भंवरलाल जाति लखारा निवासी ग्राम मुण्डियाखेडा तहसील भिनाय जिला अजमेर के पक्ष में ग्राम मुण्डियाखेडा के आराजी खसरा नम्बर 104 रकबा 0.58 हैक्टर भूमि का कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन किया गया। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थिया के पक्ष में हुए विवादित भूमि के आवंटन को विभिन्न कारणों से विधि विरूद्व बताते हुए आवंटन निरस्त करने हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थना पत्र पेश होने पर अप्रार्थीगण के नाम नोटिस जारी किया गये। अप्रार्थी संख्या 1 बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहे। पत्रावली बहस हेतु निश्चित की गई।

बहस हेतु निश्चित दिन पैरोकार सरकार के अनुपस्थित रहने पर वकील प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में उठाये गये बिन्दुओं की ताईद करते हुए व्यक्त किया कि अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में किया गया विवादित भूमि का आवंटन, न्याय, नियम व रेकार्ड पर उपलब्ध तथ्यों के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। उनका कथन है कि विवादित भूमि पर प्रार्थी का कदीम से कब्जा काश्त चला आ रहा है जो खसरा गिरदावरी संवत् 2057 से स्पष्ट है। ऐसी स्थिती में प्रार्थी विवादित भूमि के नियमन का अधिकारी है। विवादित भूमि वरवक्त आवंटन रिक्त नहीं थी बल्कि प्रार्थी का कब्जा काश्त था। विवादित भूमि के आवंटन

न्यायालय अपर जिला कलक्टर अजमेर

अपर कलक्टर
अजमेर

Scanned by CamScanner

से पूर्व उद्‌घोषणा जारी नहीं की गई तथा न ही आवंटन कमेटी का कोरम ही पूरा था। आवंटन नियमों की विधिवत पालना भी नहीं की गई है। अतः अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में किया गया आवंटन निरस्त योग्य है। वकील प्रार्थी ने अपनी बहस जारी रखते हुए आगे कथन किया कि अप्रार्थिया भमिहीन काश्तकार नहीं है तथा न ही उसके द्वारा घारित की जाने वाली भूमि बाबत कोई जांच की गई है। उनका यह भी कथन है कि अप्रार्थिया ग्राम मुण्डियाखेडा की निवासी नहीं होकर ग्राम चांपानेरी की रहने वाली है तथा वह पेशे से भी काश्तकार नहीं है। उन्होंने कथन किया कि अप्रार्थिया का पुत्र गोपाल ग्राम पंचायत पालरिया में सचिव के पद पर कार्यरत था जिसने अपने पद का दुरूपयोग करते हुए अपनी माता के नाम विवादित भूमि का आवंटन करवा लिया है। उन्होंने यह भी कथन किया कि अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा पूर्व में भी एक प्रार्थना पत्र सुरती देवी पत्नि श्री शंकरलाल के नाम से प्रस्तुत किया गया था, जिसे उपखण्ड अधिकारी भिनाय द्वारा निरस्त कर दिया गया किन्तू पुनः दूसरा प्रार्थना पत्र श्रीमति सुरती देवी पत्नी श्री भंवरलाल लखारा के नाम से प्रस्तुत कर विवादित भूमि का आवंटन करवा लिया गया है। अन्त में उन्होंने कथन किया कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में किया गया विवादित भूमि का आवंटन निरस्त किया जावें।

हमने वकील प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत बहस पर ध्यानपूर्वक मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि वरवक्त आवंटन विवादित भूमि पर अप्रार्थी संख्या 1 का कब्जा काश्त न होकर प्रार्थी का कब्जा था, इस तथ्य की पुष्टि खसरा परिवर्तनशील संवत् 2057 से होती है। इसके अतिरिक्त दिनांक 07.12.2010 को आयोजित राजस्व शिविर ग्राम पाडलिया में अप्रार्थिया द्वारा इसी भूमि के आवंटन बाबत प्रार्थना पत्र सुरती देवी पत्नी श्री शंकरलाल के नाम से प्रस्तुत किया, जिसे उपखण्ड अधिकारी भिनाय द्वारा निरस्त कर दिया गया, तत्पश्चात अप्रार्थिया द्वारा दिनांक 06.01.2011 को श्रीमति सुरती पत्नी श्री भंवरलाल लखारा के नाम से विवादित भूमि का आवंटन करवा लिया गया है इस प्रकार दोनों ही प्रार्थना पत्रों में उनके पति के नाम में अंतर है। इस प्रकार अप्रार्थिया द्वारा छलकपट पूर्वक भूमि आवंटित करवाई गई है। फलस्वरूप अप्रार्थिया के पक्ष में दिनांक 06.01.2011 को ग्राम मूण्डियाखेडा के आराजी खसरा नम्बर 104 रकबा 0.58 हैक्टर भूमि का किया गया आवंटन निरस्त किया जाकर भूमि सिवायचक दर्ज किये जानो के आदेश दिये जाते है।

आदेश आज दिनांक **18.03.2016** को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय अपर जिला कलेक्टर अजमेर

(किशोर कुमार)
अपर कलक्टर
अजमेर

(किशोर कुमार)
अपर कलेक्टर अजमेर

Scanned by CamScanner